



Neutral Citation No. - 2026:AHC:28622-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका संख्या - 170/2026

निकुंज भारद्वाज

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: अखिलेश कुमार तिवारी

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: अपर शासकीय अधिवक्ता (सी.एस.सी.), पंकज श्रीवास्तव की ओर से एस.बी. सिंह

मुख्य न्यायमूर्ति का न्यायालय

माननीय अरुण भंसाली, मुख्य न्यायमूर्ति

माननीय क्षितिज शैलेंद्र, न्यायमूर्ति

1. कथित रूप से जनहित में यह याचिका याचिकाकर्ता द्वारा स्थानांतरण आदेश दिनांक 30.06.2023 के प्रवर्तन की मांग के साथ दायर की गई है।
2. यह तर्क दिया गया है कि यद्यपि प्रत्यर्थी संख्या 4 को स्थानांतरित करने का आदेश दिनांक 30.06.2023 पारित किया जा चुका है, वह उसी स्थान पर कार्य करना जारी रखे हुए है जहाँ से उसका स्थानांतरण किया गया था और इसलिए, प्रत्यर्थियों को स्थानांतरण के आदेश को निष्पादित करने का निर्देश दिया जाए।
3. याचिकाकर्ता ने स्वयं को एक सार्वजनिक भावना वाला व्यक्ति और सामाजिक कार्यकर्ता होने का दावा किया है और अपनी स्थिति (स्टेटस) में अपना व्यवसाय 'सामाजिक कार्यकर्ता' बताया है। 32 वर्ष की आयु में व्यवसाय के रूप में सामाजिक कार्यकर्ता होने का दावा करना और याचिका की विषयवस्तु के संबंध में याचिका को बनाए रखने के उद्देश्य से वास्तविक क्रेडेंशियल्स (परिचय-पत्र) का खुलासा न करना, 'उत्तरांचल राज्य बनाम बलवंत सिंह चौपाल एवं अन्य : 2010 एआईआर एससीडब्ल्यू 1029' के मामले में निर्धारित आवश्यकताओं के विपरीत है।
4. इसे देखते हुए, याचिका में कोई सार नहीं है और इसलिए इसे खारिज किया जाता है।

(क्षितिज शैलेंद्र, न्यायमूर्ति) (अरुण भंसाली, मुख्य न्यायमूर्ति)

10 फरवरी, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



आर.के./ए.के.शुक्ला

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"